आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 146 / 2024 अनवान ***बागाराम व अन्य बनाम राज0 सरकार***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.24	उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलौदी, जिला जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 131, 13 व 136 आरएलआर एक्ट के तहत तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित आदेश कमांक 1235–36 दिनांक 07.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रा0प0 मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट्स उपस्थित, बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट्स बिना पक्षकार बनाये व बिना सहमति तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी खातेदारी भूमि ग्राम उदाणियों की ढाणी के खसरा नं0 40 की भूमि में से 0.3156 है0 भूमि गै.मु. कदीमी रास्ते में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। मौके पर रास्ता मौजूद नही है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से कदिमी रास्ते की एकतरफा तरमीम अंकित कर दी गई एवं पडौसी खसरान में से रास्ते की भूमि कम नही करके तरमीम अंकित नही की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से इसकी पालना एवं प्रभाव को रोकने अथवा विकल्पतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया कि वह अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट/फर्द तैयार करवाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार फलौदी के प्रस्ताव पर अपीलांट्स को बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा पारित किया गया है, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नही है।

परिणामस्वरूप उक्त अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 1235 –36 दिनांक 07.10.2022 को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवाकर यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर